कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 199 /12-1(2) दिनांक 21/07/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर ।

विषय :- जनपद–टिहरी गढवाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 के किमी0 253.00 से 254.00 के मध्य सडक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु 0.18 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक सं0–08बी/यू0सी0पी0/09/2018/FC/664 दिनांक–04.07.2018 ।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक सं0–08वी/यू0सी0पी0/09/2018/FC/664 दिनांक–04.07.2018 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1–शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष विद्यमान नहीं है ,अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 180 वृक्षों के एवं दस वर्षो के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 1100 रूपये प्रति वृक्ष की दर से कुल रू 1,98,000.00 की धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–972/3–5–2 दिनांक 21–11–2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

2–शर्त संख्या–02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.18 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से रू0 1,18,260,00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

<u>एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन</u>

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था कें अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

1. ईको–क्लास श्रेणी– V
2. हरियाली का घनत्व– 0.30 OF
3. एन0पी0वी की दर प्रति हे0– रू0 6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रूपये मात्र)
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 0.18 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– 0.18 हे0 X 6,57,000.00 = 1,18,260.00 रूपये मात्र

Scanned by CamScanner

3–शर्त संख्या– 03 के अनुपालन में निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पडे स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा । इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें ।

4–शर्त संख्या–04 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि शुद्व वर्तमान मूल्य में अगर भविष्य में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5–शर्त संख्या–05 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

6–शर्त संख्या–06 के अनुपालन में User agency will upload the authorization letter in the favor of person making the application.

7–शर्त संख्या– 07 के अनुपालन में User agency will upload FRA certificate with all annexures at para K online Part I.

8–शर्त संख्या–08 के अनुपालन में User agency will submit certificate of diversion of 0.18 ha.of forest land favour of MORTH.

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

भवदीय

21/7/18

(धर्म सिंह मीणा)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

O/C

Scanned by CamScanner